

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 शिविर-^{शेकरगढ})

प्रकरण संख्या/252/2023

दिनांक :- 15/05/2023

उनवान
बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाडा
श्री. आनंदीलाल पुत्र
नाराण रेगर
:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का ^{शेकरगढ} भू. अ. नि. ^{शेकरगढ} एवं तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम ^{शेकरगढ} प. ह. ^{शेकरगढ} की वर्तमान जमाबन्दी सम्बत ²⁰⁷⁴⁻²⁰⁷⁷ के खाता संख्या ^{3, 519, 520} में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति /ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है
01.	प्रार्थी का नाम प्रार्थी के पिता का नाम	आनंदा पुत्र नाराण रेगर	आनंदीलाल पुत्र नाराण रेगर

^{Pr}
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री ^{आनंदीलाल पुत्र नाराण रेगर}
3. रक्षित पत्रावली ^{आनंदीलाल पुत्र नाराण रेगर}

¹
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा